भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1081

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी संरचना का सरलीकरण"

1081. **श्रीमती प्रतिमा मण्डलः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 100 से अधिक विभिन्न कर दरों वाली दंडात्मक जीएसटी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न "व्यापार करने में असुविधा" को दूर करने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप 2.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई है और 18,000 धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं का पता चला है, जिससे एमएसएमई पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) जीएसटी संरचना को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ से जूझ रहे एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) जी नहीं महोदय, जीएसटी व्यवस्था ने देश में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित की है।

i. जीएसटी दरें जीएसटी परिषद, जिसमें संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में, जीएसटी संरचना में 4 मुख्य स्लैब हैं - 5%, 12%, 18% और 28%। सोने, चांदी, हीरे और आभूषण; कटे और पॉलिश किए गए हीरे और कच्चे हीरे पर क्रमशः 3%, 1.5% और 0.25% की तीन विशेष दरें लागू हैं। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर केवल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों, वातिल पेयों और वाहनों आदि पर अलग-अलग दरों पर लागू है।

ii. केंद्रीय और राज्य जीएसटी प्राधिकरणों द्वारा क्रमशः मई, 2023 से अगस्त, 2023 और अगस्त, 2024 से अक्तूबर, 2024 के दौरान फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दो विशेष अभियान चलाए गए हैं। विशेष अभियान के दौरान पकड़े गए जीएसटी चोरी के मामलों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है और वर्ष 2021-22 से 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) की अवधि के दौरान केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों द्वारा पकड़ी गई चोरी का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अलावा, सीबीआईसी के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जांच करते समय "व्यापार करने में आसानी" के संबंध में दिशानिर्देश निर्देश संख्या 01/2023-24-जीएसटी (इन्व.) दिनांक 30.03.2024 के अनुसार जारी किए गए हैं, जो सीबीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 45वीं बैठक में दरों के युक्तिकरण (Rate Rationalization) पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया है और संदर्भ की शर्तों में से एक में वर्तमान कर स्लैब दरों की समीक्षा शामिल है।

इसके अलावा, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम/ नीतिगत उपाय/सुधार इस प्रकार हैं:

(i) एक वर्ष में 20 लाख रुपये तक की सेवाओं की अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय आपूर्ति, (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) और एक वर्ष में 40 लाख रुपये तक की वस्तुओं की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति के लिए (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 20 लाख रुपये) के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ii) छोटे व्यापारियों के लिए वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हेतु कंपोजिशन स्कीम तैयार की गई है। इस योजना के तहत, 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले व्यक्ति (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 75 लाख रुपये) को अपने कारोबार पर 1% (माल के आपूर्तिकर्ता के मामले में) या 5% (रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में) के बराबर कर का भुगतान करना होगा और कर के तिमाही भुगतान के साथ सालाना रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसे करदाताओं को विस्तृत खाते और रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है और मासिक विवरण और रिटर्न के बजाय, उन्हें तिमाही चालान और वार्षिक आधार पर केवल एक रिटर्न दाखिल करना होगा।

(iii) सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी कम्पोजिशन स्कीम तैयार की गई है। इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यक्ति को अपने टर्नओवर पर 6% के बराबर कर देना होगा और तिमाही आधार पर कर का भुगतान करते हुए सालाना रिटर्न दाखिल करना होगा।

(iv) तिमाही रिटर्न दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प दिया गया है।

(v) एसएमएस के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-3बी में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करना सक्षम किया गया है। इसी तरह की सुविधा फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 के लिए सक्षम की गई है।

(vi) दिनांक 01.07.2017 से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16(4) के संबंध में पूर्वव्यापी संशोधन किया गया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में दिनांक 30.11.2021 तक दाखिल किसी भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाई जा सके।

(vii) केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 128क जोड़ी गई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जारी डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माने से उन मामलों में छूट मिली है, जहां करदाता दिनांक 31.03.2025 तक नोटिस में मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान कर दें।

******

अनुलग्नक - I

फर्जी पंजीकरण और फर्जी आईटीसी के खिलाफ विशेष अभियान

प्रथम विशेष अभियान (मई, 2023 - अगस्त, 2023)

	सत्यापन हेतु पहचाने गए जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	गैर-मौजूद जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	की गई कार्रवाई				जीएसटीआईएन (GSTIN) से वसूल की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	की गई गिरफ्तारियों की संख्या
			निलंबित जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	रद्द किये गए जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	नियम 86 ए के तहत अवरुद्ध आईटीसी (करोड़ रुपए में)	पता लगाई गई कर/आईटीसी चोरी की कुल राशि (करोड़ रुपए में)		
राज्य	48198	11417	6135	6116	6162.71	9021.16	221.82	0
केंद्र	28655	10391	4191	5808	597.42	15335.91	60.17	8
कुल	**76853**	**21808**	**10326**	**11924**	**6760.13**	**24357.07**	**281.99**	**8**

दूसरा विशेष अभियान (अगस्त, 2024 - अक्टूबर, 2024)

	सत्यापन हेतु पहचाने गए जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	गैर-मौजूद जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	की गई कार्रवाई				जीएसटीआईएन (GSTIN) से वसूल की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	की गई गिरफ्तारियों की संख्या
			की गई जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	रद्द किये गए जीएसटीआईएन (GSTIN) की संख्या	नियम 86 ए के तहत आईटीसी (करोड़ रुपए में)	पता लगाई गई कर/आईटीसी चोरी की कुल राशि (करोड़ रुपए में)		
राज्य	45027	40258	8044	4978	1650.25	6429.30	31.15	0
केंद्र	29033	28135	10375	6125	2800.99	18916.89	33.67	19
कुल	**74060**	**68393**	**18419**	**11103**	**4451.24**	**25346.19**	**64.82**	**19**

अनुलग्नक - II

केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों द्वारा वर्ष 2021-22 से 2024-25 [दिसंबर, 2024 तक] की अवधि में पूरे भारत में पता लगाए गए आईटीसी धोखाधड़ी सहित वर्षवार कुल जीएसटी चोरी का विवरण

जीएसटी अपराध मामलों की कुल संख्या*				
अवधि: अप्रैल 2021 से दिसंबर 2024 तक				
अवधि	मामलों की संख्या	पता किए दए (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में)	गिरफ्तारियों की संख्या
2021-22	12574	73238	25157	342
2022-23	15562	131613	33226	190
2023-24	20582	230332	31758	223
2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)	23675	188415	20128	132
कुल	**72393**	**623598**	**110269**	**887**

**** जीएसटी चोरी के आंकड़ों में आईटीसी धोखाधड़ी के मामलों के आंकड़े भी शामिल हैं***

******